प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **31-08-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-महिला के चेहरे पर चाकू से हमला करने का आरोपी गिरफ्तार,थाना मझोलाः-

अवगत कराना है दिनांक 30.08.2025 को वादी निवासी थाना मझोला क्षेत्रांतर्गत ने आरोपी द्वारा वादी की बहन के ऊपर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने,जिसमें उसकी नाँक व मुँह पर गम्भीर चोंटे आने के सम्बन्ध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मु0अ0सं0-817/2025 धारा-109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 31.08.2025 को उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना मझोला द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी चाँद पुत्र यामीन निवासी ग्राम गागन वाली मैनाठेर थाना मझोला,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। उक्त संबंध में मुकदमा उपरोक्त में धारा-4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार आरोपीः-

चाँद पुत्र यामीन निवासी ग्राम गागन वाली मैनाठेर थाना मझोला,मुरादाबाद

बरामदगीः-
एक अवैध चाकू
गिरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना मझोला,मुरादाबाद।
हे0का0 अनुज कुमार थाना मझोला,मुरादाबाद।
हे0का0 विजय सिंह थाना मझोला,मुरादाबाद।

2-दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार,थाना मझोलाः-

अवगत कराना है दिनांक 27.08.2025 को वादिनी निवासी थाना मझोला क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के घर में घुसकर दुष्कर्म करने व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना मझाला पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मु0अ0सं0-802/2025 धारा-64(1),115(2),333 351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 31.08.2025 को उ0नि0 श्री सतीश कुमार द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी अंकित कुमार पुत्र थान सिंह निवासी मुण्डाला मौहम्मद जमालपुर उर्फ

ढकैडा थाना छजलैट जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपीः-

अंकित कुमार पुत्र थान सिंह निवासी मुण्डाला मौहम्मद जमालपुर उर्फ ढकैडा थाना छजलैट जिला मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना मझोला,मुरादाबाद।
का0 रामबहादुर थाना मझोला,मुरादाबाद।
का0 सौरभ नैन थाना मझोला,मुरादाबाद।

3-जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी तथा शांति व्यवस्था भंग करने में 12 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी तथा 12 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

विवरण वारंटीः-

थाना ठाकुरद्वाराः-

1.अजय उर्फ रामदीश पुत्र ओमप्रकाश निवासी वार्ड न0-01 मौ0 जाटवान काशीपुर चुंगी कस्वा व थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद सम्बन्धित मुकदमा न0-2003/2019 अ0स0 275/2019 धारा – 4/25 आर्मस एक्ट व
2.आरिफ पुत्र हामिद हुसैन निवासी वार्ड न0-20 नई बस्ती कस्वा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद मुकदमा न0-3470/2020 अ0स0 590/2020 धारा – 4/25 आर्मस एक्ट,
3. सोनू पुत्र छोटे दर्जी निवासी कालाझण्डा थाना ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित वाद संख्या 3228/2020 अ0सं0 99/2020 धारा 379 भादवि,
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी सरक़डा करीम थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद सम्बन्धित मुकदमा न0- 486/2015 अ0स0 16/2015 धारा – 60/62 आबकारी अधिनियम,
5. विपिन कश्यप पुत्र राजाराम निवासी मौ0 बंजारान फतेहउल्लागंज वार्ड न0-05 कस्वा व थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद सम्बन्धित मुकदमा न0-204/2010 अ0स0 720/2009 धारा – 25 आर्मस एक्ट व मुकदमा न0-569/2018 अ0स0 601/2017 धारा – 60 आबकारी अधिनियम

थाना डिलारीः-

जफर अली उर्फ मुजफ्फर पुत्र रफीक निवासी ग्राम गक्खरपुर थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद सम्बंधित मुकदमा न0- 1149/11 अ0स0- 89/11 धारा 323 भादवि चालानी थाना डिलारी

शांति व्यवस्था भंग के आरोपीगण विवरणः-

थाना मझोला-03,थाना कोतवाली नगर-01,थाना सोनकपुर-01 ,थाना बिलारी-06, थाना-छजलैट-01

4-थाना बिलारी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.08.2025 को वादी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रांतर्गत ने दिनांक 24.08.2025 को उसकी पुत्री द्वारा कस्बा सैफनी में एक क्लीनिक पर काम करने को कहकर घर से जाने व वापस न आने आदि के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर गुमशुदगी दर्ज की गयी । थाना पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये लड़की की तलाश की जा रही थी तथा उक्त क्लीनिक स्टाफ व परिजनों से भी पूछताछ की गयी,गुमशुदगी की जांच में लडकी के प्रेम-प्रसंग होने के तथ्य प्रकाश में आये ।

दिनांक 30.08.2025 को वादी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रांतर्गत द्वारा बताया कि मेरी पुत्री के गुम होने के संबंध में मैंने गौसे आलम पुत्र राहत जान निवासी ग्राम चकफाजलपुर थाना कुन्दरकी मुरादाबाद से पूछा तो उसके द्वारा बताया गया कि मैने अपने दोस्त के साथ मिलकर आपकी लड़की की हत्या कर उसका शव ईख के खेत मे छुपा दिया है,इस संबंध में वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-394/2024 धारा 103(1)/238/87/3(5) बीएनएस बनाम गौसे आलम आदि 02 नामजद के पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार उक्त घटना के शीघ्र सफल अनावरण व घटना में संलिप्त आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी बिलारी के नेतृत्व में थाना बिलारी टीम का गठन किया गया । गठित टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे नामित अभि0गण की लगातार तलाश की जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मुखबिर की सूचना पर दिनांक 30.08.2025 की रात्रि को गठित टीम द्वारा आरोपी गौसे आलम पुत्र राहत जान नि0ग्रा0 चकफाजलपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया । अभि0 गौसे आलम की निशांदेही पर मृतका का शव थाना कुन्दरकी क्षेत्रांतर्गत ग्राम रूपपुर में एक व्यक्ति के ईख के खेत से बरामद किया गया ।

टीम द्वारा अन्य 01 वांछित की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे,जिसमें आज दिनांक 31.08.2025 को थाना बिलारी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। मुकदमा में अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-394/2024 धारा 103(1)/238/87/3(5) बीएनएस थाना बिलारी,मुरादाबाद।

गिरफ्तार आरोपीगण के नाम-

1.गौसे आलम पुत्र राहत जान निवासी ग्राम चकफाजलपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद

2.एक बाल अपचारी

पूछताछ का विवरण ---

पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी गौसे आलम उपरोक्त ने बताया कि मेरी मृतका से कुछ समय पहले इस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी तथा एक*दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। बाद में मुझे पता चला कि मृतका के सम्बन्ध अन्य लड़कों से भी है, मृतका मुझसे शादी के लिए दबाब बना रही थी, मैं उससे शादी नही करना चाहता था तथा उससे पीछा छुडाना चाहता था,मैने अपने साथी को यह सारी बात बतायी और दिनांक 24.08.2025 को मैंने मोबाईल से मृतका से बात कर, उसे बिलारी बुला लिया था वहां से अपाची मोटर साईकिल से उसे कुन्दरकी की ओर ले गया। जहां कुन्दरकी बाईपास पर मेरा साथी पहले से ही मेरे बताये अनुसार खडा मिला,हम तीनों कुन्दरकी बाईपास से जैतपुर पट्टी के सामने से नहटौरा की ओर जा रही सड़क से रेलवे लाईन के पास पहुँचे जहाँ मोटर खड़ी कर, ईख के खेत में ले जाकर हम दोनो ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी तथा उसके शव को ईख के खेत में अन्दर छिपा दिया था तथा मृतका के मोबाईल व सिम तोड़कर तथा पर्स को जैतवाड़ा नदी में बहते पानी में फेक दिया थे। फिर हम दोनो ट्रक पर बाहर चले गये थे। दिनांक 30.08.2025 को मृतका के पिता मुझे तेवरखास के पास मिले थे, जो मुझसे अपनी पुत्री के बारे में पूछ रहे थे,क्योंकि मृतका के घर वालो को हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में पहले से ही पता था इसलिये मैंने उन्हे सारी सच्चाई बता दी।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त अपाची मोटर साईकिल न0 UP21 CJ 1701 रंग नीले

2.एक मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.प्र0नि0 श्री उदयप्रताप सिंह थाना बिलारी,मुरादाबाद।

2.नि0अ0 श्री जयदेव सिंह थाना बिलारी,मुरादाबाद।

3.उ0नि0 श्री अनंगपाल सिंह थाना बिलारी,मुरादाबाद।

4.उ0नि0 अरूण कुमार थाना बिलारी,मुरादाबाद।

5.म0उ0नि0 सीमा राठी थाना बिलारी,मुरादाबाद।

6.हे0का0 सचिन सैनी थाना बिलारी,मुरादाबाद।

7.हे0का0 बनबारी लाल थाना बिलारी,मुरादाबाद।

8.हे0का0 सोमवीर थाना बिलारी,मुरादाबाद।

9. का0 मोहित कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।